अध्याय 9: अन्वेषण एवं उत्खनन

पुरातात्विक अवशेषों का उत्तखनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्राथमिक दायित्वों में से एक है। इस अध्याय में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का अन्वेषण एवं उत्खनन संबंधी गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई है।

9.1 एएसआई में अन्वेषण गतिविधियां

उत्खनन गतिविधियों का अन्वेषण एक हिस्सा है जिसमें, उत्खनन, अन्वेषण, भवन सर्वेक्षण, मंदिर सर्वेक्षण, पूर्व-ऐतिहासिक, अन्तर्जलीय पुरातत्व और गाँव से गाँव सर्वेक्षण जैसे कार्य सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों को पूरा करने हेतु एएसआई की शाखाएं हैं।

9.1.1 गाँव से गाँव सर्वेक्षण

पिछले प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा के अनुसार मानव संसाधन की कमी के कारण, एएसआई द्वारा गाँव से गाँव का सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यद्यपि एएसआई द्वारा ग्राम सर्वेक्षण प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया था, यह सभी सर्किलों में समान रूप से नहीं किया गया था। 2014-15 से 2019-20 के दौरान, चार सर्किलों[68] में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया परंतु चार सर्किलों[69] में एक ही वर्ष में सर्वेक्षण किया गया। एएसआई ने चयनित मंडलों/वर्षों में ग्राम सर्वेक्षण करने का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया। तथापि, इसके कुछ मंडलों द्वारा कम ग्रामीण सर्वेक्षणों का कारण मानव संसाधनों की कमी उल्लिखित किया गया।

मंत्रालय/ एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी मंडलों को अपनी वार्षिक रणनीति योजना में गांव से गांव के सर्वेक्षण को सम्मिलित करने का निदेश दिया गया है।

9.1.2 समुद्रवर्ती पुरातत्व

एएसआई में समुद्रवर्ती पुरातत्व पानी के भीतर अन्वेषण हेतु एक विशेषज्ञ शाखा है। पिछले प्रतिवेदन में यह बताया गया था कि 2001 में स्थापित शाखा, विशेषीकृत

[68] अमरावती, दिल्ली, गुवाहाटी और श्रीनगर

[69] भुवनेश्वर, हम्पी-मिनी सर्किल, जोधपुर और मुंबई

मानव संसाधनों की कमी के कारण निष्क्रिय हो गई थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह नोट किया गया था कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। मानव संसाधनों की कमी के अलावा, समुद्रवर्ती पुरातत्व के लिए एएसआई के पास कोई परिप्रेक्ष्य योजना या नीति नहीं थी।

मंत्रालय/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह सूचित किया (जनवरी 2022) कि पानी के भीतर पुरातात्विक अन्वेषण के लिए इच्छुक पुरातत्वविद् को प्रशिक्षण देने पर जोर को पहचान लिया गया है और प्रशिक्षण आरंभ भी किया गया है तथा तदनुसार, इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एएसआई में एक पृथक प्रकोष्ठ को मजबूत किया गया है।

9.2 एएसआई में उत्खनन गतिविधियां

पुरातात्विक स्थलों पर उत्खनन एएसआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एएसआई विभिन्न एजेंसियों जैसे एएसआई सर्किलों, शाखाओं, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उत्खनन अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। *पीएसी ने उत्खनन से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए मंत्रालय से अन्वेषण और उत्खनन नीति के अंतर्गत एक कार्य योजना तैयार करने और इन गतिविधियों की निधियों के पर्याप्त आवंटन और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा था।*

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह नोट किया गया था कि पीएसी द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाएं और पिछले प्रतिवेदन में उल्लिखित उत्खनन संबंधी मामलों का समाधान नहीं किया गया है:

- एएसआई की अपनी अन्वेषण और उत्खनन नीति के आधार पर कोई कार्य योजना नहीं थी। उत्खनन कार्य किसी प्राथमिकता सूची, परिप्रेक्ष्य योजना अथवा परिमेय योग्य प्रदर्शन मापदण्ड और दिशानिर्देशों को स्थापित किए बिना किया जा रहा था।

- एएसआई के पास प्राप्त उत्खनन प्रस्तावों, उनकी संस्तुति अनुशंसा अथवा अस्वीकृति के कारण, स्वीकृत प्रस्तावों की स्थिति और उनके निगरानी को दर्शाने वाली कोई केंद्रीकृत सूचना/निगरानी प्रणाली नहीं थी।

- उत्खनन पर प्रतिवेदन तैयार करने में काफी विलम्ब हुआ था। कुछ मामलों में, प्रतिवेदन 60 से अधिक वर्षों से लंबित थे। कुछ प्रमुख उत्खनन, यथा मथुरा, श्रावस्ती, रोपड़, के प्रतिवेदन जो क्रमशः 1954-55, 1958-59 और 1953-54 में आरंभ हुए थे, अभी तक पूर्ण नहीं हुए। इस संबंध में, एएसआई ने उत्खननकर्ता की मृत्यु और सेवानिवृत्ति के कारण प्रतिवेदन लिखित में देरी की बाधाओं की सूचना दी थी।

- भुवनेश्वर सर्किल में, उत्खनन स्थलों (2011-12 से) से प्राप्त पुरावशेषों को उत्खननकर्ताओं द्वारा प्रतिवेदन लिखने के लिए रखा जाना पाया गया था। साथ ही, पिछले प्रतिवेदन में बताए गए 5,915 पुरावशेषों में से, जैसा कि उत्खनन शाखा के भंडार में रखा गया था, उनमें से 4,272 अभी भी भंडारघर में थे, जिनमें से केवल 449 का ही प्रलेखन किया गया था।

- अन्वेषण/उत्खनन पर किया गया व्यय अभी भी एएसआई के कुल व्यय का अभी भी एक प्रतिशत से कम था। (पैरा 5.1.1 का संदर्भ लें)

पिछले प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा द्वारा उत्खनन स्थलों की स्थिति और उनके संरक्षण पर भी टिप्पणी की गई थी। नीचे दी गई फोटोग्राफ के माध्यम से *पुराना किला*, दिल्ली में उत्खनन स्थल की उपेक्षित स्थिति, जिसे 1954 से एएसआई द्वारा नियमित रूप से उत्खनन हेतु उपयोग किया जाता था, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान दर्शाया गया है:

नवंबर 2019 में किया गया अंतिम उत्खनन	**जनवरी 2021 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान**

पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण

एएसआई की उत्खनन नीति ने भारत में 500 से अधिक पुरातात्विक स्थलों को उत्खनन/अन्वेषण हेतु महत्वपूर्ण पहचान दी है। इस सूची में से दिल्ली क्षेत्र के दो स्थलों, यथा मंडोली और भोरगढ़ का उत्खनन दिल्ली राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा क्रमशः[70] 1987 और 1992-94 में किया गया था। उत्खनन प्रतिवेदनों के अनुसार, निष्कर्षों से उत्तर-हड़प्पा काल के अवशेषों का पता चला था। यह नोट किया गया था कि महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बाद भी, इन स्थलों को सुरक्षित करने के लिए अगली कार्रवाई नहीं की गई थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, इन दो स्थलों के दौरे से पता चला कि इन दोनों पर पूरी तरह अतिक्रमण कर लिया गया है और वे अब अस्तित्व में नहीं थे।

मंत्रालय/एएसआईने सूचित किया (जनवरी 2022) कि उत्खनित अवशेषों को उनके अनावरण[71] पश्चात् संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

पीएसी ने पुरातात्विक अवशेषों के उत्खनन और अन्वेषण हेतु निर्धारित सार्वजनिक संसाधनों को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहा था। तथापि, कार्य योजना, निधियों के पर्याप्त आवंटन और निगरांनी के अभाव में उठाए गए मामलों पर अभी भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी/फरवरी 2022) के सभी पर्यवेक्षणों और टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए मसौदा उत्खनन नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उत्खनन गतिविधियों के लिए एक निगरानी प्रारूप तैयार किया जा रहा था और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को सम्मिलित किया जा रहा था।

इसने उत्खनन प्रतिवेदनों के लेखन में देरी को स्वीकार किया और यह प्रस्तुत किया कि इसे प्राथमिकता दी जा रही है और नई नीति में इस मामले को भी ध्यान में रखा गया है। भुवनेश्वर सर्किल से संबंधित अभ्युक्ति के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों के प्रलेखन तैयार किए जा रहे थे।

---

[70] एएसआई और उसके अधिकारी इन स्थलों के पूर्व उत्खनन में सम्मिलित थे।

[71] उत्खनन स्थल जैसे, गोट्टीप्रोलू, आंध्र प्रदेश (2018-2020) और सीतागढ़, झारखंड (2020-21) को उनके महत्व और अनावरित संरचना को देखते हुए सुरक्षा के लिए चुना गया है।

9.2.1 कानगानहल्ली, धारवाड़, कर्नाटक में उत्खनन

एएसआई धारवाड़ सर्किल के अधीन *कानगानहल्ली* एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ बौद्ध स्थल है। एएसआई (1994-2001 के मध्य) द्वारा स्थल पर उत्खनन से ईसा पूर्व[72] की पहली शताब्दी के एक अद्वितीय महास्तूप, प्रागैतिहासिक कलाकृतियों, संरचनात्मक अवशेषों और प्राचीन अवशेषों का पता चला था। पिछली प्रतिवेदन में वर्णित स्थल के संरक्षण और सुरक्षा में कमियों के उत्तर में, एएसआई ने उसके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताया। इनमें उत्खनन के पैनल के लिए अस्थायी शेड का निर्माण, उनके रासायनिक संरक्षण कार्य और उत्खनन स्थल के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक समिति (जुलाई 2020 में) का गठन सम्मिलित है। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि अभी भी उत्खनित स्थल पर निम्नलिखित मामले विद्यमान थे।

- उत्खनन के 20 वर्षों तथा लेखापरीक्षा द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद भी, स्थल के पैनल और अन्य अवशेष प्रकृति की अनियमितताओं के अधीन खुले में बिखरे पड़े थे।

- बौद्ध मूर्ति के संरक्षण के लिए बनाए गए बंद मूर्तिकला शेड की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई थीं। खुले शेड में कलाकृतियों को रखने के लिए बनाए गए सीमेंट बेड में दरार आ गई थी।

- 23 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह स्थल घनी वनस्पतियों और घास से ढका था, जिससे कलाकृतियों को आग का खतरा पैदा हो गया था। साइट पर लगाया गया सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था जबकि प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी।

[72] सीएजी की 2013 की प्रतिवेदन सं.18 के पृष्ठ 119 पर मामला अध्ययन

उत्खनन किए गए कानगानहल्ली स्थल पर बिखरे पैनल

पिछला प्रतिवेदन

अनुवर्ती लेखापरीक्षा

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में *कानगानहल्ली* के उत्खनन अवशेषों का संरक्षण और निकटतम भवन में आश्रय/स्थानांतरण इसकी प्राथमिकता होगी।

सनौली में उत्खनन के दौरान प्राप्त पुरावशेषों का स्थानांतरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, एएसआई के पुरातत्व संस्थान ने उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में सनौली के प्राचीन स्थल पर उत्खनन का कार्य किया था। प्रमुख उत्खनन में आदमकद रथ, तलवार, छेनी, चाकू, दर्पण, कंघी आदि जैसे तांबे से बने औजार पाए गए थे और ये 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक के थे।

सनौली में पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त खोजों को महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि उन्होंने भारतीय उप-महाद्वीप की ताम्रपाषाण संस्कृति को एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान की तथा महान प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे *वेद, महाभारत* आदि[73] की व्याख्या के लिए आधार-सामग्री प्रदान की थी।

[73] सनौली यू.पी. में खोजों पर सचित्र रिपोर्ट- एएसआई द्वारा प्रकाशित

उत्खनन रथ का कलात्मक दृश्य।

यह नोट किया गया था कि सनौली में उनकी खोज के बाद, एएसआई ने सभी मूल्यवान पुरावशेषों को लाल किला, दिल्ली और फिर ग्रेटर नोएडा में नव-निर्मित कार्यालय में पुन: स्थानांतरित कर दिया था। जैसा कि पैरा 6.4 में उल्लेख किया गया है, इन पुरावशेषों के स्थानांतरण हेतु कोई नीति या मानक नहीं थे। तथापि, एएसआई ने सूचित (दिसंबर 2020) किया कि पुरावशेषों को ले जाते समय उनकी सुरक्षा के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है।

निष्कर्ष:

जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में इंगित किया गया था कि अन्वेषण और उत्खनन गतिविधियों से जुड़े मामलों, यथा कार्य-योजना की गैर-मौजूदगी, केंद्रीकृत सूचना तथा उत्खनन गतिविधियों के लिए निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति, प्रतिवेदन लेखन कार्य में देरी, अपर्याप्त बजट आवंटन आदि का समाधान नहीं किया गया है।